न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः–261ए / 2019

प्रार्थीगणः–

1. दीपाराम पुत्र श्री सिमरथाराम
2. भगवानाराम पुत्र श्री सिमरथाराम
3. नेनाराम पुत्र श्री सिमरथाराम
   जाति जाट निवासी खारड़ा मेवासा,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री गोविन्दराम
2. कुलदीप पुत्र श्री सुरजमल
3. विजेश पुत्र श्री सुरजमल
4. भंवरी देवी पत्नी श्री गोविन्दराम
   जाति मेघवाल निवासी खारड़ा मेवासा
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
5. शाखा प्रबन्धक युको बैंक मथानिया (फोर्मल पक्षकार)
6. तहसीलदार ओसियां।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित –

प्रार्थीगण – अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री धन्नाराम विश्नोई

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से सरकारी पैरोकार।

–::निर्णय::–

दिनांकः–27/11/019

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा 82 बीघा 01 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:57:41 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

किस्म बारानी प्रथम मौजा ग्राम खारड़ा मेवासा में आई हुई हैं। जिसमें प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणियां बनी हुई हैं तथा उक्त भूमि में एक नलकूप खुदा हुआ है जो चालु हालत में है। उपरोक्त भूमि के दक्षिणी दिशा में खसरा नम्बर 68 की भूमि स्थित है। जो अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है जिसके आगे दक्षिणी दिशा में एक रास्ता सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के आदेश से दिनांक 23.07.2019 से ओमप्रकाश बनाम शांतिलाल वगैरा में फैसल हुआ। जो मौके पर चालु है उक्त रास्ते से होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा में से एक रास्ता प्रार्थीगण की भूमि तक चलता है जिससे प्रार्थीगण आवागमन करते है। इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने के लिए कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पास्परिक सहमति से तय नहीं हुआ जिससे अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बन्द कर देते है तथा प्रार्थीगण को आवागमन नहीं करने देते है जबकि उक्त रास्ता प्रार्थीगण का नजदीकी एवं लघुतम रास्ता है। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि में से चलता हैं जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया हैं। इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते हैं। प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण की भूमि सिंचीत भूमि हैं जिसमें नलकूप तथा रहवासीय ढाणीयां बनी हुई हैं। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में खाद, बीज व अनाज चारा आदि की झाले व ट्रक आने जाने हेतु 15 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता हैं जिससे की ट्रक व चारे की झालें आसानी से आ जा सकें एवं आवागमन में कोई असुविधा न हो। प्रार्थीगण को काश्त हेतु ट्रेक्टर व कृषि उपकरण व प्रार्थीगण के स्कूली बच्चे, पशुधन आदि उक्त रास्ते ही चलते हैं आपातकालीन समय में भी उक्त रास्ता उचित हैं। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता हैं एवं नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता लघुतम एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का न्यायालय के निर्णय अनुसार चल रहे रास्ते का निकटतम रास्ता हैं। प्रार्थीगण का उक्त न्यायालय के निर्णय अनुसार चल रहे [illegible] अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर 15 फुट चौड़ा रास्ता [illegible] राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया [illegible] अनुसार एवं डी.एल.सी. की सिंचित भूमि की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:57:41 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी एवं कलेक्टर

Scanned by CamScanner

अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार हैं। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सिंचित हैं। अतः निवेदन हैं कि न्यायहित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 69 में प्रार्थीगण के आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 68 रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के दक्षिणी सीमा पर स्थित है जिसमें से नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता ए से बी जो लाल रंग से मार्क किया गया 15 फुट चौड़ा रास्ते के रूप में घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अम्ल दरामद करवाया जावें तथा नजरी नक्शे अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करवाई जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री धन्नाराम विश्नोई उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से इकबली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 प्रफोर्मा पक्षकार है तथा अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

यह है कि भू–अभिलेख निरीक्षक ओसियां से मौका रिपोर्ट तलब की गई, भू–अभिलेख निरीक्षक ओसियां द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की गई जिससे स्पष्ट है कि–प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 68 में से होकर रास्ता चाहा खसरा संख्या 68 के दक्षिण में स्थित खसरा संख्या 67/2 रकबा 13.06 बीघा भूमि स्थित है जिस पर ग्रेवल सड़क लगी हुई है जो ग्रेवल सड़क राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जिसे नक्शा नजरी में डोटेड (......) करते हुए दिखाया गया है। ग्रेवल सड़क के खसरा नम्बर 115/2018 के द्वारा संलग्न नजरी नक्शा में बिन्दू संख्या A से B तक निर्णय किया जा चुका है। बिन्दू संख्या B से C तथा C से D तक खसरा संख्या 68 प्रतिवादीगण के खसरा 68 में से रास्ता हेतु चाहा गया है। जिसमें प्रतिवादीगण ओमप्रकाश से पुछताछ में बताया गया कि हमारे खसरे में बीचों बीच रास्ता दिया जावें ताकि हमारे खसरे में 1/2 विभाजन में कोई आपत्ति नहीं हो। इस कारण से बिन्दू B से C तथा C से D तक नजरियां नक्शा अनुसार भूमि 15 [illegible] रकबा 00.08 बीघा भूमि [illegible] का अभाव आती है तथा मार्ग की अत[illegible] आवश्यकता है [illegible]
है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:57:41 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
एवं
[illegible] कलेक्टर

Scanned by CamScanner

यह है कि वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। जो रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 69 रकबा 82 बीघा 01 बिस्वा ग्राम खारड़ा मेवासा में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि ग्राम खारड़ा मेवासा के खसरा नम्बर 68 रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा में से 15 फिट चौड़े रास्ते हेतु कुल 8 बिस्वा भूमि भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में वर्णित बिन्दू B से C तथा C से D तक नजरी नक्शे अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर तरमीम की जावें तथा प्रार्थीगण को डीएलसी की दुगुनी राशि प्रतिकर के रूप में तहसीलदार ओसियां के कार्यालय में जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

उप खण्ड अधिकारी
एवं
सहायक कलेक्टर व

आज दिनांक 27/11/019 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:57:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

उप खण्ड अधिकारी
एवं
सहायक कलेक्टर व

Scanned by CamScanner